FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 15)

जज अदालत उपखण्डाधिकारी मुकाम राजाखेड़ा

धनपाल बनाम केदार सिंह

किस्म मुकदमा दावा नं. 8/16 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
14/5/18	आज पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान – प्रशासन गांवों के संग कैम्प नामत में पेश हुयी। पक्षकारान हाजिर, समझाइश की गयी। वाद वादी पुत्र द्वारा अपने जीवित पिता के विरुद्ध अपना हिस्सा चाहने हेतु प्रस्तुत किया है। मूल विवाद भूमि को पिता द्वारा बेचने से रोकने का है। पिता के जीवित होते हुए पैतृक सम्पत्ति हिस्सा किया जाना न्यायोचित नहीं है। बेटे के विरुद्ध जबकि पिता यदि पुश्तैनी जमीन का किसी हिस्से को बेच देता है तो भी वादी के हित प्रभावित होने तब वादकारण का बनाव मिलेगा। अतः दावा वादी इस आदेश के साथ निर्णित किया जाता है कि प्रतिवादी सं. 1 केदार सिंह के स्वयं के बयान से पाबन्द किया जाता है कि वे विवादित आराजी ख.नं. 326/0-04, 421/0-08, 859/0-08, 861/1-06, 863/0-04 एवं 1488/377/0-07 स्थित ग्राम नामत तहसील राजाखेड़ा का अपने जीवन काल में वादी की सहमति के माफिक कोई भी हिस्सा किसी का विक्रय नहीं करेंगे वादी भी पिता के भरण पोषण का पूरा पूरा ध्यान रखेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील दाखिल रिकार्ड हो	